

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

क्र.मोंक / 339 / आउशि / छा.शाखा. / 2009 /
प्रति,

भोपाल दिनांक 4/8/09

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, (म.प्र.)
2. समस्त संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, (म.प्र.)
3. समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, (म.प्र.)


विषय:—नवीनीकरण एकीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में जानकारी देने विषयक ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एकीकृत छात्रवृत्ति के नवीनीकरण की राशि सत्र 2009-10 से निम्नानुसार जानकारी के साथ मांग की जावे :—

क्र.मोंक	छात्र-छात्राओं का नाम (सूचीसंलग्न करें)	छात्रवृत्ति का प्रकार	पूर्व में दी गई छात्रवृत्ति के आदेश की छाया प्रति एवं छात्र-छात्राओं को भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	नवीनीकरण हेतु चाही गई राशि	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत करने पर ही इस कार्यालय से छात्रवृत्ति की राशि जारी की जा सकेगी । उपरोक्तानुसार जानकारी समय सीमा में प्राप्त होने पर संबंधित संस्था उत्तरदायी होगी ।


3.8.2009
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 340 अकाशि / सा.शाखा / 2020

भोपाल दिनांक 4/8/20

प्रतिश्री-

1.. संयुक्त संचालक, (बजट) उच्च शिक्षा महासालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल ।

13/8/20
(डॉ. व्ही. के. शुक्ला)
विशेष कतव्यस्थ. अधिकारी
उच्च शिक्षा म0प्र0